राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज.जयपुर

क्रमाक – नर्सिग / नर्स–2(F)अभ्या 0 / कोर्टकेस / एस–253 / 2019 / दिनाक –

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमाक अराज / सामान्य / 2018 / 234 दिनाक 06.03.2019 के द्वारा श्रीमती सपना चौधरी नर्स श्रेणी–द्वितीय स्थानान्तरण / पदस्थापन राजकीय श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर से सेटेलाईट होस्पिटल, बनीपार्क, जयपुर मे नर्स–2 के रिक्त पद पर किया गया है जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर मे अपील संख्या 101 / 2019 दायर की गई । माननीय अधिकरण द्वारा दिनाक13.03.2019 को निम्नानुसार आदेश जारी किया :–

" अपीलार्थी दिनांक 28.03.19 तक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करें सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग दिशा निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिपेक्ष्य में आगामी 15 दिवस तक एक आख्यात्क आदेश प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलौच्य आदेश दिनांक 06.03.19 (अनुलग्नक–3) का कियान्वयन स्थगित किया जाता है । यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना में अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन प्रार्थना पत्र स्वंत ही निरस्त समझा जावें "

माननीय अधिकरण द्वारा जारी आदेश की पालना मे याचिकाकर्ता ने 18.03.19 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरा निदेशालय के आदेश कमाकःअराज / सामान्य / 2018 / 234 दिनाक 06.03.2019 के द्वारा स्थानान्तरण / पदस्थापन राजकीय श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर से सेटेलाईट होस्पिटल, बनीपार्क, जयपुर मे नर्स–2 के रिक्त पद पर किया गया है । मेरे ससुर के दोनो पैर एव एक हाथ से दिव्यांग है सास बैड रेस्ट पर है बच्चा छोटा है तथा पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रार्थी का स्थानान्तरण निरस्त कर यथावत रखने के आदेश जारी किये जावे ।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मे विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि उनके ससुर दिव्यांग है एवं सास बैड रेस्ट है एवं बच्चा छोटा है ऐसी परिस्थितियो के मध्यनजर स्थानान्तरण निरस्त किया जावे । मेरे द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर मनन / विचार किया गया जिसके उपरात मै इस निर्णय पर पहूचा हूँ कि याचिकाकर्ता द्वारा जयपुर मे रहकर भी अपने परिवारजनो का बेहतर अच्छा इलाज एव देख–रेख कर सकती है । साथ ही वर्तमान मे श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर मे नर्स श्रेणी द्वितीय का कोई पद रिक्त नही है । याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मे ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किये जाने के कारण प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है ।

Sd/-
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमाक –नर्सिग / नर्स–2(F) / अभ्या0 / कोर्ट केस / एस–253 / 2019 / 596 दिनाकः– 22/5/19

प्रतिलिपि –निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय ।
2 पमुख चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर ।
3. अधीक्षक सेटेलाईट चिकित्सालय बनीपार्क, जयपुर ।
4. श्रीमति सपना चौधरी, याचिकाकर्ता को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
5 श्री सजय खेदर, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ।
6 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे ।
7 आदेश / रक्षित पत्रावली ।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर